



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 164-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016 (ASVINA 15, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार  
पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 7 अक्टूबर, 2016

### पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009.

**संख्या 4382-प०-प०/४-२०१६/११५१४.**— पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत जिले को अश्व प्रजाति के पशुओं में गलेंडर्स रोग से बचाव, नियन्त्रण के लिए एतद द्वारा “नियन्त्रित क्षेत्र” घोषित किया जाता है तथा घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पशुओं की, जहां वे इस जिले में रखे गए हैं, से किसी अन्य स्थान पर राज्य के अन्दर या बाहर आवाजाही को प्रतिबन्धित किया जाता है तथा इस जिले में इन पशुओं की दौड़, मेले प्रदर्शनी, खेल के आयोजन तथा एकत्रित करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 7 अक्टूबर, 2016

विनीत महाजन,  
उप सचिव, हरियाणा सरकार,  
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT**

### Notification

The 7th October, 2016

### THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT, 2009

**No. 4382-AH-4-2016/11514.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 read with Sub-section (1) and (2) of Section 7 of “The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009)”, the Government of Haryana, hereby declares the District Panipat as “controlled area” for restriction of movement of equine species (horses, donkeys, mules) within or outside the district and bordering States to prevent, control and contain the Glanders disease. The holding of races, fair, exhibition, games and gathering of such animals in Panipat District is also prohibited.

Chandigarh:  
The 7th October, 2016.

VINEET MAHAJAN,  
Deputy Secretary to Government Haryana,  
Animal Husbandry and Dairying Department.